Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमीचंद बना मूलचंद दीवानी वाद संख्या 25/2017, 121/2013 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-09-2024	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री माधव गोपाल गर्ग एवं श्री अंकुर गर्ग उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के अधिवक्ता को भेजा गया नोटिस उनको प्राप्त हो गया है। उनके अधिवक्ता ने पक्षकार से सम्पर्क नहीं होना बताया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को व्यक्तिगत रूप से दिए गए पते पर समन भेजा गया। इनमें से प्रतिवादी संख्या 5 हरबंस सिंह की मृत्यु होने की रिपोर्ट आई है। इस सम्बंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 5 हरबंस सिंह की मृत्यु होने व उसके पुत्र रविन्द्र सिंह प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पूर्व से ही अभिलेख पर होने से प्रतिवादी संख्या 5 हरबंस सिंह के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित करते हुए नाम डिलीट किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 हरबंस सिंह का उक्त परिसर में उपकिरायेदार होना बताया गया है तथा उसके पुत्र रविन्द्र सिंह का पूर्व से अभिलेख पर होना बताया गया है। अन्य किसी व्यक्ति को वादग्रस्त परिसर में रहने या कार्य करना नहीं बताया गया है। इन परिस्थितयों में प्रतिवादी संख्या 5 हरबंस सिंह की मृत्यु होने से उसके नाम के आगे लाल स्याही से मृतक शब्द अंकित करते हुए डिलीट लिखने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के भेजे गए समन उनके अधिवक्ता द्वारा ले लिए जाने और तामील होने पर उनको आवाज लगवाई गई, मगर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध दिनांक 02-06-2016 से एकतरफा कार्यवाही का आदेश है। वादी का शपथपत्र प्रस्तुत हो चुका है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 09-09-2024 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमीचंद बना मूलचंद दीवानी वाद संख्या 25/2017, 121/2013	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमीचंद बना मूलचंद दीवानी वाद संख्या 25/2017, 121/2013	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए